

10

दयात्मकी
शैशवी

राधा पिछले कई सालों से घाना बनाने का काम करती है उसकी बेटी मीरा जो 14 साल की हो गयी है उसको अपने साथ काम पर लाने लगती है।

जी साहब सब ठीक है, पर मीरा की बढ़ती आम में उसको रात तक अकेले घर छोड़ने में डर लगता है, तो होमवर्क की कौपी के साथ ही मैं उसे अपने साथ काम पे ले आती हूँ।



अरे राधा आज फिर मीरा को अपने साथ ही ले आई, घर पर सब ठीक तो है?



अरे राधा तुम उसे कहा कहा घरों में ले कर घूमोगी। मीरा को यहीं छोड़ दिया करो और रात को काम घ्रन्त करने के बाद साथ ले जाया करो। मैं तो घर से ही काम करता हूँ इसका ध्यान भी रख लूँगा।



आप कह तो ठीक रहे हैं। मीरा को होमवर्क छोड़ के मेरे साथ भागना पड़ता है, यहाँ आपके और बच्चों के साथ रहेगी तो उसको अकेलापन भी नहीं लगेगा।



राधा फिर अपनी बेटी को शाम 5 बजे साहब के घर छोड़ जाती थी और रात आठ बजे मीरा को लेने वापस आती थी। ये सिलसिला करीब एक महीने तक चला।






माँ मुझे नहीं जाना उस साहब के यहां। वो उनके बच्चों के टूशन जाने के बाद मुझे इधर उधर छूते हैं, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश भी करते हैं, और मेरे मना करने पर मुझे बहुत डरते हैं।

बस बस मीरा, मैं तेरी बातों पर विश्वास करती हूँ, मैं तुझे वहां कभी नहीं ले जाऊँगी।



राधा साहब के खिलाफ शिकायत करने के लिए, रास्ते ढूँढने लगती है और इसके बीच में उसे अपनी सहेली आंचल की याद आती है जो अपना सीएससी सेंटर चलाती है।



आंचल, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरी एक समस्या है पर मामला थोड़ा संवेदनशील है, कहीं किसी और को पता तो नहीं चलेगा?



तुम मुझे निश्चिंत हो कर अपनी समस्या बता सकती हो।

राधा अपनी बेटी के साथ हुए हादसे के बारे में आंचल को बताती है।



वकील से बात करते हुए

मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि मैं जहाँ सालों से खाना बनाने जाती थी वहाँ साहब ने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की है, पर वो साहब बहुत पैसे वाले हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं?



तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं तुम्हें यहीं सलाह दूँगी कि तुम टेली-लॉ सेवा के माध्यम से अपना केस रजिस्टर कराओ। वकील तुमसे यहीं सेंटर पर वीडियो कॉल से बात भी कर लेंगे।

ठीक है दोपहर एक बजे के लिए केस रजिस्टर कर दीजिए।



आपकी बातें सुनने के बाद मैं आपको यहीं सलाह दूँगा कि बाल यौन शोषण के मामले की रिपोर्ट सीधे संबंधित पुलिस स्टेशन या डीसीपीयू (जिला बाल संरक्षण इकाई) को करें। आपकी बेटी का बयान उसके घर या उसकी पसंद के किसी स्थान पर आपके या किसी करीबी रिश्तेदार के सामने महिला पुलिस अधिकारी द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है। मैं आपको यह भी सलाह दूँगा कि आप मीरा की काउंसिलिंग के लिए बाल कल्याण समिति से संपर्क करें ताकि वह इस समस्या से बाहर आ सके।





माँ ने मेरी बताई बातों पर यकीन किया और वकील अंकल से मोबाइल पर बात की और उनके बातें तरीके से हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की और गलत काम करने के लिए साहब के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। काउंसलिंग में जाने के बाद मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। हमें हौसला देने और सही राह दिखाने के लिए मैं टेली-लों सेवा का शुक्रिया करना चाहती हूँ।

